न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 75 / 2017

RCMS No. 2017/00327

प्रार्थी:–

1 उगमराज पुत्र रामचन्द्र

2 बादामी बाई पत्नी रामचन्द्र जातिगण जैन निवासीगण जवाली तहसील रानी जिला पाली

3 सुखीबाई पुत्री देवीचन्द पत्नी घीसूलाल जाति जैन निवासी जवाजी तहसील रानी जिला पाली हाल निवासी कीरवा तहसील रानी

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. किशोर पुत्र रायचन्द्र शाह जाति जैन निवासी जवाली तहसील देसूरी जिला पाली हाल रूपम केमिस्ट, चेम्बुर नाका, विजय टॉकिज के पास काम्बे रोड़, चेम्बुर, मुम्बई–71 (महाराष्ट्र)
2. ग्राम पंचायत जवाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, तहसील पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक:– 12/11/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, जवाली द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या एस.पी.1 दिनांक 03.01.2010 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि जैर निगरानी स्वामित्व प्रमाण पत्र की भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहित अन्य की संयुक्त शामलात पैतृक रहवासीय मकान बना हुआ है, जिसका पट्टा वक्त जागीर ग्राम पंचायत जवाली के तत्कालीन जागीरदार ठाकुर श्री सरदारसिंह ने रूपचन्द, देवीचन्द, पुखराज, रामचन्द्र बेटा पोता हिराचन्द निवासी जवाली के हक में विक्रम संवत 1998 को जारी कर रखा है, जिस पट्टे के अस्तित्व को स्वयं अप्रार्थी स्वीकार कर श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश पाली के न्यायालय में प्रस्तुत वाद में उपरोक्त पट्टे को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.11.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत को प्रार्थीगण की पैतृक पट्टासुदा भूमि पर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं था। नेमीचन्द ने विधि विरूद्ध तरीके से प्राप्त किए गए स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर फर्जी एवं कूटरचित तरीके से बिना हक अधिकार के अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय विलेख तैयार करवाया। उक्त विक्रय विलेख से अप्रार्थी संख्या 1 को कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं हुए है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त विक्रय विलेख की भूमि को अधीनस्थ ग्राम पंचायत में अपने पैतृक रहवासीय

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मकान की भूमि बताकर जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया, जो पंचायती राज नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। पंचायती राज नियमों के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विरूद्ध स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसका कोई रेकर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर जैर निगरानी स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हे। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी स्वामित्व प्रमाण पत्र को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा दो पृथक पृथक निगरानी प्रस्तुत की है, जिसमें एक निगरानी में स्वामित्व प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई है तथा दूसरी निगरानी में पट्टे को चुनौती दी गई है। प्रार्थी का कथन है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर पूर्व में पट्टा बना हुआ है। जिस तथाकथित पट्टे को प्रार्थीगण इस निगरानी का आधार बना रहे है, उस पट्टे के पडौस, माप, क्षेत्रफल तथा जैर निगरानी पट्टे के पडौस, माप व क्षेत्रफल किसी भी रूप में मिलान नहीं करते है। इस कारण यह स्वीकृत तथ्य नहीं है कि पूर्व में जो पट्टा जारी होना बताते है, वह इसी भूमि से सम्बन्धित रहा हो। इसके अतिरिक्त निगरानी का एक अन्य आधार यह भी लिया गया है कि उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद माननीय अपर जिला न्यायालय बाली के समक्ष विचाराधीन है तथा नियमित वाद के विचाराधीन रहते निगरानी की संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तथा न ही दस्तावेजात् का परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि उक्त तथ्य निर्विवादित रूप से वाद को प्रभावित करते है। इसके अतिरिक्त उक्त पट्टा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये पंजीबद्ध हो चुका है एवं पंजीबद्ध दस्तावेज को खारिज करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर एकमात्र रूप से सिविल न्यायालय को ही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी प्रकरण में किसी भी रूप में हितबद्ध नहीं है। निगरानी मात्र हितबद्ध व्यक्ति ही प्रस्तुत कर सकता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा विधि में प्रदत्त नियमों की पालना की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 (राज.) 2008 (2) पेज 735 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, जवाली द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या एस.पी.1 दिनांक 03.01.2010 के विरूद्ध पेश की है। प्रकरण में यह विधिक प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या पंचायत को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकारिता है ? इस सम्बन्ध में डब्ल्यू0एल0एन0 2015 (2) पेज 267 में यह प्रतिपादित किया कि ''ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 19.09.1976 में वादी के स्वामित्व को स्वीकार किया गया – प्रमाण पत्र जारी करने वाला सरपंच ने सर्वे रजिस्टर, गृह कर रजिस्टर का परीक्षण नहीं किया – वह वादग्रस्त जायदाद पर नहीं गया – प्रतिवादी पक्ष ने वादग्रस्त जायदाद पर अपने कब्जे का दावा करते हुए प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर आपत्ति प्रस्तुत की – निर्णीत, प्रमाण पत्र शक्ति से परे तथा समुचित प्रक्रिया अपनाए बिना पारित किया गया–प्रमाण पत्र वादी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, ना ही उसके स्वामित्व का सनर्थन कर सकता है।'' हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जो स्वामित्व प्रमाण पत्र

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जारी किया गया है, उस पर कोई क्रमांक अंकित नहीं करते हुए एस0पी01 अंकित किया गया है। विधि अनुसार ग्राम पंचायत को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है तथा न ही इस प्रकार के दस्तावेज के आधार पर स्वामित्व का सृजन होता है। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत जवाली द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए जैर निगरानी स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसे कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, जवाली द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या एस.पी.1 दिनांक 03.01.2010 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/11/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली